

सूचना

29/08/15

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2015 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से मैट्रिक में प्रथम व दूसरी श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्र/छात्राओं का प्रोत्साहन राशि का वितरण N.E.F.T के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाना है। सभी लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 10.09.2015 तक निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, मधेपुरा में जमा करावें। -

1. अंकपत्र व प्रवेश पत्र की अभिप्रमाणित (सम्बंधित विद्यालय से) छायाप्रति।
2. बैंकपास बुक की छायाप्रति।

नोट:- साथ में अंकपत्र व बैंक पासबुक की मूलप्रति अवश्य लायें।

—
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
मधेपुरा।

जापांक ...160.....मधे०/दिनांक 29.08.15.....

प्रतिलिपि ✓ जिला विज्ञान व सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे जिले के ऑफिसियल वेबसाइट पर अपलोड कर प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपि - जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में विषयांकित सूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

—
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
मधेपुरा।